लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
078/2022 (GCMS 2022/384)	19.10.2022	28.10.2022

अनवान

बंशीलाल पिता डालचन्द कुमावत निवासी आंवलहेड़ा वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं.7073758974)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.08.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./078/2022(सू.अ.)(28.10.2022)/826 दिनांक 19.10.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 28.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने नियत दिनांक को उपस्थित होकर जरिये प्रार्थना पत्र अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2022/852 दिनांक 21.10.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री बंशीलाल कुमावत पिता डालचन्द कुमावत निवासी आंवलहेड़ा, वाया बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दिनांक 29.08.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 30.08.2022 से प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बिन्दु संख्या 01 के संबंध में सक्षम लोक सूचना अधिकारी, उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/325 दिनांक 02.09.2022 को निर्धारित समयावधि में अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत् अन्तरित कर प्रार्थी को अवगत कराया गया। इसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही सक्षम लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में वांछित सूचना संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/2997 दिनांक 12.10.2022 से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/325 दिनांक 15. 10.2022 से जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी हैं।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/न्याय/आर. टी. आई./16–12( )2022 / 1450 दिनांक 16.09.2022 से अवगत कराया गया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित ज्ञापन प्राप्त नहीं होना पाया गया हैं, प्राप्त सूचना की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/325 दिनांक 15.10.2022 से जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी हैं।
5. यह कि उक्तानुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज योग्य हैं।
6. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं दिनांक 28.10.2022 को जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जवाब, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/852 दिनांक 21.10.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थी के आवेदन को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उप वन संरक्षक, जिला चित्तौड़गढ़ एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जिला चित्तौड़गढ़ को अन्तरित करते हुए प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि **"यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ, वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन को अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"** हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के आवेदन दिनांक 29.08.2022 (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 30.08.2022) के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 से वांछित सूचना उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में (कार्यालय में प्राप्ति के पांच दिवस के भीतर) दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थी के आवेदन को संबंधित कार्यालयों में अन्तरित कर दिया गया था। परन्तु लोक सूचना अधिकारी, उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ (20) आरटीआई/उवसं/2022–23/6425 दिनांक 15.09.2022 से उक्त आवेदन का धारा 6(3) में हस्तान्तरण अस्वीकार करते हुए अपीलार्थी का आवेदन मूल ही पुनः लोक सूचना अधिकारी को लौटा दिया, जो कि सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं।

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29.08.2022 के बिन्दु संख्या 02 से संबंधित सूचना कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/2997 दिनांक 12.10.2022 से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करवाई, जो कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/325 दिनांक 15.10.2022 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई गई। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया है कि उसे आवेदन के बिन्दु संख्या 02 से वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 03 के संबंध में प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/न्याय/आर.टी.आई/16–12( )2022/1450 दिनांक 16.09.2022 से अवगत कराया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत ज्ञापन रिकार्ड/अभिलेख की तलाश उपरान्त न्याय अनुभाग में प्राप्त नहीं होना पाया गया। उक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/325 दिनांक 22.09.2022 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर हाजिर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि ज्ञापन जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया, अतः ज्ञापन के संबंध में वांछित सूचना दिलवाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। ज्ञापन जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में ज्ञापन के संबंध में वांछित सूचना प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 02 से वांछित सूचना पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए बिन्दु संख्या 03 से वांछित ज्ञापन को कार्यालय में तलाश कर ज्ञापन की प्रमाणित प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही (बिन्दु संख्या 04) के संबंध में सूचना तैयार कर 15 दिवस में जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें। इसके साथ ही जहां तक उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) द्वारा अंतरित आवेदन पत्र के अस्वीकार किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यह न्यायालय उप वन संरक्षक का प्रथम अपीलीय न्यायालय नहीं है ऐसी स्थिति में उप वन संरक्षक के निर्णय के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है, अपीलार्थी इस संबंध में सक्षम प्रथम लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी से चारागोही करने के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **28.10.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)